न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक 13.05.2024 | निर्णय दिनांक 27.05.2024

ण संख्या /2024

उनवान

संतोष देवी धर्मपत्नी श्री मदन लाल ढोली उम्र वयस्क निवासी दांथल पुलिस थाना सदर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज० मो.9024169466

आशा पुत्री श्री मदन लाल ढोली उम्र वयस्क निवासी दांथल पुलिस थाना सदर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज०

देवकिशन पुत्र श्री मदन लाल ढोली उम्र वयस्क निवासी दांथल पुलिस थाना सदर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज०

धर्मराज पुत्र श्री मदन लाल ढोली उम्र वयस्क निवासी दांथल पुलिस थाना सदर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज०

– प्रार्थीगण

बनाम

सत्तु जाट पिता नाथू लाल जाट उम्र वयस्क निवासी दांथल पुलिस थाना सदर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज० मो. 9714353333

शंकर पिता नाथू लाल जाट उम्र वयस्क निवासी दांथल पुलिस थाना सदर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज०

देबीलाल पिता बालू लाल जाट उम्र वयस्क निवासी दांथल पुलिस थाना सदर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज०

जगदीश पिता बालू जाट उम्र वयस्क निवासी दांथल पुलिस थाना सदर भीलवाडा जिला भीलवाडा राज०

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) –

–विपक्षीगण

स्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी कैलाश राव
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जा दान्थल प0ह0 दान्थल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा ी जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 41 की अभिलिखित आराजियात 618, 619, 16 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2012 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की
जियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः
गण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर
सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को
नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रार्थी
वक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की
दुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है
र्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन
। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का
लोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात
हस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन
रगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में
त भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र
र्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि
ा दान्थल प0ह0 दान्थल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा
जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 41 की अभिलिखित आराजियात 618, 619,
कुल किता 03 कुल रकबा 1.2012 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व
केन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में
ानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की
र्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी
हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर
मांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क
मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया
र पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा
श्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में
ाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा